न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 15 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 107

1. रुगनाथ पुत्र श्री पीरा, उम्र 82 वर्ष, जाति कलबी, निवासी पमाणा, तहसील— सांचौर, जिला— जालोर।

1. चतराराम पुत्र सबला।
2. वागाराम पुत्र सबला।
3. गणेशाराम पुत्र सोना ।
4. छोगाराम पुत्र सोना।
5. जीवाराम पुत्र सोना ।
6. सावला पुत्र मोती।
7. पार्वती पुत्री सरूपाजी।
8. मंजूदेवी पत्नी मनोहर जातियान कलबी, निवासीगण पमाणा, तहसील—सांचौर, जिला — जालोर।
9. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा अरणाय।
10. शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा—सांचौर।
11. शाखा प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा सांचौर।
12. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :— **06.06.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी, श्री [illegible] उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी 9 से 11 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी सं. 12 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

—:निर्णयः—

दिनांकः— 01.08.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी ग्राम पमाणा का मूल निवासी हूँ। तथा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 418 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा संख्या 419 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 420 रकबा 4.00 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, कुल रकबा 4.02 हैक्टेयर भूमि का आया हुआ है। जिस पर मैं काबित काश्त हूँ। तथा मैं प्रार्थी सपरिवार निवासरत है व काश्त करते आ रहे है। उक्त खातेदारी खेत में आवागमन का निकटतम कदीमी रास्ता मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 398 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 400 रकबा 1.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 401 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 402 रकबा 3.50 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 421 रकबा 2.71 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में लाल रंग से दर्शाया गया है। जो मुझ प्रार्थी को दिया जाना न्यायहित में अति आवश्वयक है। मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 398 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 400 रकबा 1.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 401 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 402 रकबा 3.50 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 421 रकबा 2.71 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ ‵अ‵ मे लाल रंग से दर्शाये अनुसार अवाप्त कर प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत मे आवागमन करने हेतू रास्ता दिलाया जाये। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत में आने—जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 398 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 400 रकबा 1.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 401 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 402 रकबा 3.50 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 421 रकबा 2.71 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ अ मे लाल रंग से उल्लेखित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप [illegible]ते का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना—दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीरा[illegible]धरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 9 से 11 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

3. अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से जवाब पेश कर सहमति प्रदान की गई । जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी के खातेदारी खेतो में आवागमन करने हेतू रास्ते की आवश्यकता है, जो हम अप्रार्थीगण संख्या 01 चतराराम पुत्र सबला, 02 वागाराम पुत्र सबला, 03 गणेशाराम पुत्र सोना, 04 छोगाराम पुत्र सोना, 05 जीवाराम पुत्र सोना, 06 सावला पुत्र मोती, 07 पार्वती पुत्री सरूपाजी पत्नी कानाराम व 08 मंजूदेवी पत्नी मनोहर के मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 398 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 400 रकबा 1.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 401 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 402 रकबा 3.50 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 421 रकबा 2.71 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम भूमि मे से 12 फीट चौड़ा नया गस्ता प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशष्ठ अ में लाल रंग से दर्शायेनुसार भूमि को अवाप्त कर प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतू रास्ता दिया जाये तो हमें कोई आप्पति नही है। तथा हमे उक्त भूमि के एवज में पैसो की आवश्यकता नही है। अतः जवाबदावा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 के मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 398 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 400 रकबा 1.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 401 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 402 रकबा 3.50 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 421 रकबा 2.71 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता भूमि अवाप्त कर दिया जाता है तो हमें कोई आप्पति नही है। उपस्थित अप्रार्थी संख्या 12 राजपैरोकार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक बिजरोल की मौका फर्द अनुसार नवीन मार्ग की अनुशंषा की।

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :— 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह [illegible] जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक [illegible] मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा क[illegible] चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 420 रकबा 4.0 हैक्टर में पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति प्रदान की गई। साथ ही भू अभिलख निरीक्षक बिजरोल की रिपोर्ट में उक्त आराजी में पहुंचने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को निकटतम व व्यावहारिक बताया। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु रकबा क्रमश: खसरा नम्बर 398 में से 0.46 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 400 में से 0.0840 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 401 में से 0.0320 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 402 में से 0.1440 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 421 में से 0.01 हेक्टेयर बनती है। एवं वर्तमान में इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण व अतिक्रमण नहीं है ना ही कोई फसल व वृक्ष अवस्थित है। अतः प्रार्थीगण के खसरा नं. 420 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 398 में से 0.46 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 400 में से 0.0840 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 401 में से 0.0320 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 402 में से 0.1440 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 421 में से 0.01 हेक्टेयर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं भू अभिलेख निरीक्षक बिजरोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

की मौका फर्द अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा पमाणा पटवार हल्का पटवार हल्का पमाणा के खसरा नंबर 420 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 398 में से ~~0.46~~ 0.046 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 400 में से 0.0840 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 401 में से 0.0320 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 402 में से 0.1440 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 421 में से 0.01 हेक्टेयर में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं भू अभिलेख निरीक्षक बिजरोल की मौका फर्द अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सरहद मौजा पमाणा, पटवार हल्का पमाणा के खसरा नम्बरान खसरा नम्बर 398 में से 0.046 हेक्टेयर (65 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा, 200 मीटर लम्बा व 1 मीटर चौड़ा), खसरा नम्बर 400 में से 0.0840 हेक्टेयर (200 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौड़ा, 60 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा), खसरा नम्बर 401 में से 0.0320 हेक्टेयर (80 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा), खसरा नम्बर 402 में से 0.1440 हेक्टेयर (360 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा), खसरा नम्बर 421 में से 0.01 हेक्टेयर (25मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा), भूमि में से उक्तानुसार लंबाई व चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **01.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

Naksha 420 नक्शा परिशिष्ठ "अ" Login

ne Users: 20 Online Visitors: 668

Signature Not Verified

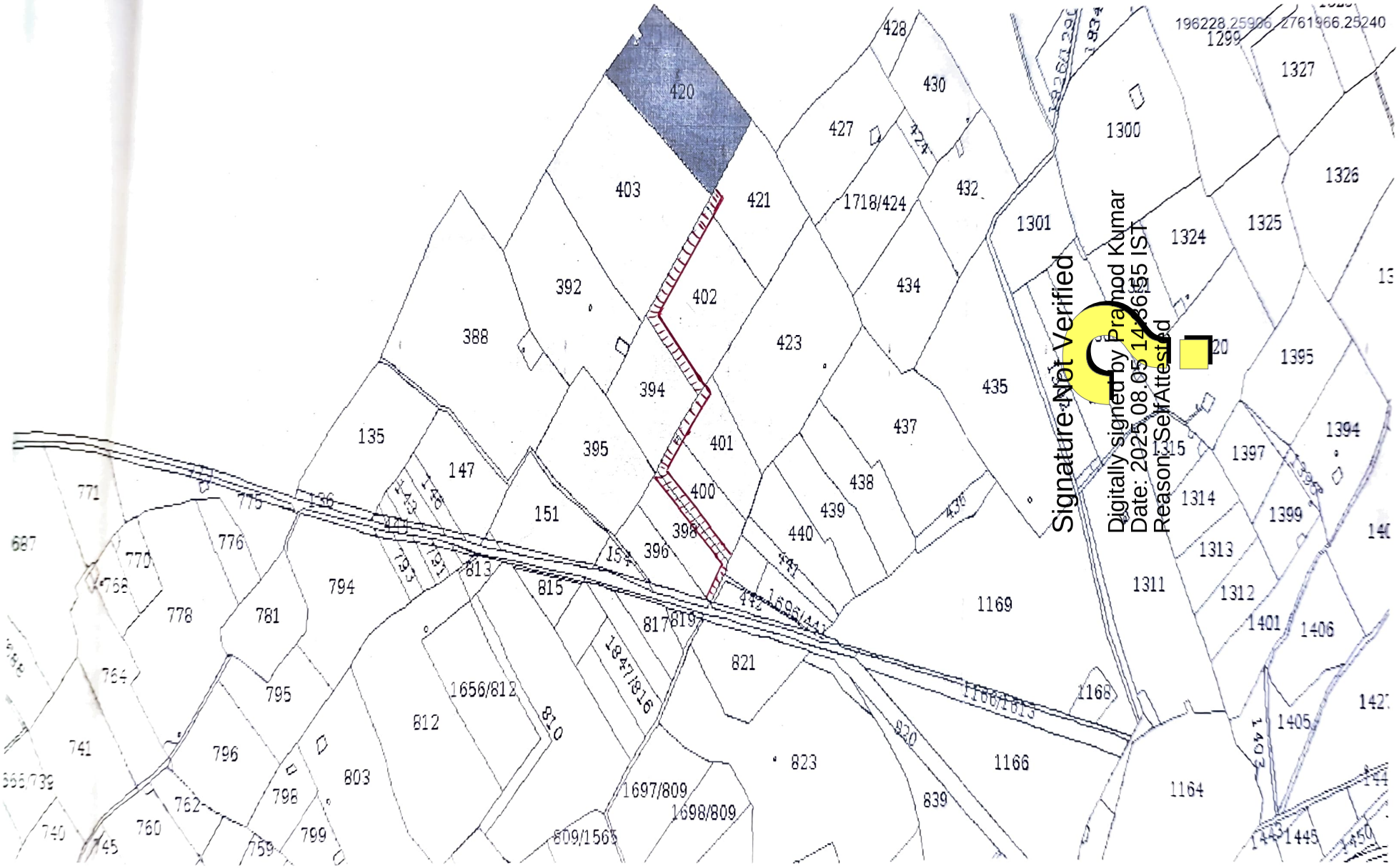

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

12 फीट चौड़ा रास्ता

C.S.

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

जिला : 18 जालोर, तहसील : 297 साँचौर, RI : 1582 बिजरोल, Halkas : 06273 पमाणा, गांव : 24086 पमाणा, Sheet No : 001